



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ 37(71)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था.पद./14/2022/2538 जयपुर दिनांक 20.09.2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-चूरु।

विषय:- कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समिति में कार्यरत निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण जारी कर निर्देशित स्थान पर करते हुए विभाग को अवगत करावें।


क्र. सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1	रमेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति राजगढ, चूरु	पंचायत समिति बीदासर, चूरु
2.	दर्शन कुमार	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति राजगढ, चूरु	पंचायत समिति सरदारशहर, चूरु
3.	संदीप कुमार	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति राजगढ, चूरु	पंचायत समिति बीदासर, चूरु

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई कार्मिक निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

(डॉ. रौतुक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(1)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्राविपंरावि जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदया, पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित।
7. सम्बन्धित कार्मिक को पालनाथ।
8. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-1